# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .................................................. मुकाम ..................

.................................................. बनाम ..................................................

.................................................. ..................................................

किस्म मुकदमा .................................................. नं. .................................................. सन् ..................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ता[illegible] अहकाम ज[illegible] हुक्म की त[illegible] में जारी[illegible] |
|---|---|---|
| | 8.5.21 | |
| | पत्रावली पेश हुई रजिस्ट्रेशन उक्त प्रविष्टि का प्रतिपत्र अन्तर्गत धारा 177 व 63 R.T.N.L. को अवलोकन किया मामले की विस्तृत जांच प्रस्ताव से लिखवाया मामला बाद रजिस्टर शामिल किया गया। पत्रावली पेशकार शुमार खारिज बाद मामला दाखिल दफ्तर हो<br>[signature]<br>सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर | |

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम खींवसर
व इजलास राजकेश मीना आर ए एस

प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर

*बनाम*

अप्रार्थी :–

श्री हेमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भेड़ तहसील खींवसर

वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी ...नियम एवं अन्तर्गत धारा 63 के तहत मुकद्दमान राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–108/2019 यह ...द्दमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी प्रार्थी मनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण ...जानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट को स्वीकार किया जाता ...तथा अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट के तहत अप्रार्थी श्री हेमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत ...ासी भेड़ तहसील खींवसर जिला नागौर के मौजा भेड़ में खेत ख.न. 1541/671 रकबा 16.16 ...ा किस्म बारानी में से रकबा 02.06 बीघा (नक्शा लठा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित स्थान की ...राजी से बेदखल कर अन्तर्गत धारा 63 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते ...। तथा उक्त आराजी को सिवायचक घोषित की जाती हैं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल ...मद हो।

**...त आदेश की पालना तत्काल की जावें। पालना कर पालना से तीन योम में अवगत करावें।**
**...ः– उक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार ...की पालना कर तीन योम में अवगत करावें।**

............लीत......................मुबलिक...............बाबात.............खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर............... ...फ़ि सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक...............का अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत ...तुहर अदालत के आज तारीख ..8.1.21..........

राजकेश मीना आरएएस
सहायक कलक्टर
SDO खींवसर

| ... | रूपया | पैसे | मुद्दायला | रूपय | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| ...म्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| ...म्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| ...म्प वजह साबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| ...नताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| ...र्चा गवाहन | | | फीस कमीश्नर | | |
| ...स कमीश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| ...बत् इजराय हुक्मीजान | | | मुतफर्रिक | | |
| ...फर्रिक | | | मीजान | | |

राजकेश मीना आरएएस
सहायक कलक्टर
SDO खींवसर

APP-A
Crime-I

# FORM No. III
## फर्द अहकाम
(नियम 26)

...लत .................................................. मुकाम ..............................

.................................................. बनाम ..............................

.................................................. ..............................

...दमा .................................................. नं. .................... सन् ....................

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| 19-1-21 | |
| पत्रावली पेश/ वकलाय [?] उप<br>पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक<br>25-1-21 को पेश हो<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO), खींवसर | |
| पक्षकारान व [illegible] उपस्थित<br>[illegible] दिनांक 11/2 | |
| पत्रावली पेश/ वकलाय [?] उप/ बहस<br>[illegible]<br>[illegible] पत्रावली वास्ते<br>[illegible] हेतु दिनांक 9.3.21 को<br>पेश हो<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>खींवसर (नागौर) | |
| पत्रावली पेश/ वकलाय [?] उप<br>[illegible] | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | |
|---|---|---|
| | 251 A को अंगीकार किया जाकर<br>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया -<br>जाकर आज हस्ताक्षर शामिल मिसल<br>किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार<br>होकर आज मियाद दाखिल दफ्तर<br>हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>खींवसर (नागौर) | |

और सहखातेदार इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है जबकि उक्त नये रास्ते की ...ले प्रार्थीगण ने की है न की सभी सहखातेदारों ने इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ...गण द्वारा उक्त प्रश्नगत रास्ता अपनी सुविधा के लिए चाहा है न की प्रार्थीगण को उक्त ...की आवश्यकता है. ऐसी स्थिति में चाहा गया रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं ...दार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है ...गण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से यह भी ताईद होता है ...न मे वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा चालू है और प्रार्थीगण के सहखातेदार उक्त रास्ते ...ज दिन तक उपयोग उपभोग करते आ रहे है और कर रहे है।

RRT2019 (2) पेज संख्या 1547 अनवान अनील शर्मा बनाम मुरारी के अनुसार धारा 251 अ ... आवश्यकता के लिए बना है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है ...खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मायने मे पहुचने के वैकल्पिक ... का अभाव सिद्व करने पर ही अन्य खातेदार की जोत मे से नया रास्ता कायम किया जा ... है। जब पूर्व मे ही प्रार्थीगण के पास रास्ता उपलब्ध है तो केवल आवागमन की सुविधा हेतु ...खातेदार की भूमि मे से नया रास्ता कायम किया जाना विधिसम्मत नही है। उपरोक्त विवेचन ...धार पर मै इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की नितान्त आवश्यकता नहीं ... वैकल्पिक रास्ता भी मौजुद है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ...कार करने योग्य नही है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का जवाब, तहसीलार ... की मौका रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन करने एवं विद्वान ...क्ताओ की बहस पर मनन करने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आरटीएक्ट ...कार योग्य होने की वजह से खारिज किया जाता है ।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करेगे।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर नागौर

उक्त निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर नागौर